HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 1306/2025

Brigadier Bhupesh Singh S/o Shri Vijayraj Singh,

----Appellant

Versus

Mahendra Kumari W/o Late Pratap Singh Ji

----Respondent

For Appellant(s)	:	Present in Person.
For Respondent(s)	:	Mr. N M Sharma, Adv. & Ms. Suruchi Kasliwal, Adv. Through VC. Mr. Vinod Kumar Sharma, Adv. for Mr. Saransh Saini, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Judgment / Order</u>

<u>19/03/2026</u>

आई.ए. 1/2026 के माध्यम से अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी कम 1/1 जितेन्द्र सिंह का नोटिस उसके निजी सहायक द्वारा लिया गया है और अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर भी किये गये हैं, अतः तामील पर्याप्त मानी जावे।

यह भी निवेदन किया कि यही जितेन्द्र प्रत्यर्थी कम 2 ट्रस्टी के रूप में पक्षकार है और उसकी ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दी जा रही है।

जब प्रत्यर्थी कम 2 द्वारा ट्रस्टी की हैसियत से उपस्थिति दे दी गई है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी होना स्वाभाविक है, इसके बावजूद मात्र तकनिकी कारणों से तामील से बचने या प्रकरण को विलंबित करने का प्रयास उचित नहीं है, इससे न केवल प्रकरण विशेष विलंबित होता है बल्कि न्यायालय का मूल्यवान समय जो सद्भाविक पक्षकारों के लिए हैं, उसका अपव्यय होता है।

उपरोक्त अभिमत प्रकट करने के बाद प्रत्यर्थी कम 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

वे प्रत्यर्थी क्रम 1/1 की ओर से आगामी पेशी पर वकालतनामा प्रस्तुत कर देंगे, अतः उनके इस आश्वासन को देखते हुए फिलहाल आई.ए. 1/2026 पर कोई आदेश दिया जाना उचित नहीं है।

प्रत्यर्थी क्रम 1/1 की ओर से यदि अब भी सद्भाविक रूप से सहयोग नहीं किया जाएगा तो आवश्यकतानुसार दोनों पक्षों को सुनकर उचित आदेश पारित किया जाएगा।

प्रकरण दिनांक 15.04.2026 को सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Sharma/44